

आधिकारिक मुहर

अनुः

**संलग्नक – V**  
**(पैराग्राफ – 8)**

**पता, आदि जाली नोट के ब्योरे प्रस्तुत करने के लिए फार्म -**  
**सतर्कता कक्ष (एफएनवीसी ) से आरबीआई**

(प्रत्येक वर्ष पर 1 जुलाई को ई-मेल द्वारा प्रस्तुत किया जाए)

बैंक का नाम	एफएनवीसी का पता (पिनकोड सहित )	प्रभारी अधिकारी का नाम और पता	कोड सहित टेलीफोन संख्या	कोड सहित फैक्स संख्या	एफएनवीसी का ई-मेल पता

उपरोक्त प्रस्तुत ब्योरे में किसी भी परिवर्तन को तत्काल सूचित करने के लिए हमने नोट कर लिया है ।

प्राधिकृत अधिकारी का नाम

पदनाम

दिनांक :

नोट: पर पूर्ण भरे हुए फार्मेट को एम एस एक्सेल में [ई-मेल](#) द्वारा प्रेषित किया जाये ।

(हार्ड कापी भेजने की आवश्यकता नहीं है)